भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1529
31.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

एसपीएमईपीसी के अंतर्गत निवेश के लिए वैश्विक ईवी विनिर्माताओं को आकर्षित करना

1529 **श्री राजेश परमानंद शुक्ला:**
श्रीमती रेखा शर्मा:
श्री बृज लाल:
श्री शंभू शरण पटेल:
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:
श्रीमती दर्शना सिंह:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन योजना (एसपीएमईपीसी) के अंतर्गत कितनी कंपनियों ने आवेदन किया है और वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को भारत में निवेश करने तथा विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आकर्षित करने हेतु से मंत्रालय द्वारा कौन-कौन से विशेष संपर्क एवं सुविधा उपाय किए गए हैं;
(ख) क्या इस योजना में विनिर्माण के स्थानीयकरण तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रावधान है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस योजना के तहत प्रस्तावित निवेश, विनिर्माण क्षमता और रोज़गार सृजन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) के अंतर्गत निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से, भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय मिशनों/दूतावासों तथा संबंधित मंत्रालयों से अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शिनियों के माध्यम से, भारतीय मिशनों का उपयोग करते हुए तथा इन्वेस्ट इंडिया जैसे मंचों का लाभ उठाकर एसपीएमईपीसीआई का प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों से भी विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु की जा रही अन्य पहलों के साथ-साथ एसपीएमईपीसीआई को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया। स्कीम के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने की अवधि 21.10.2025 तक 120 दिनों के लिए खुली रही, तथापि इस अवधि में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) से (घ): एसपीएमईपीसीआई का एक प्रमुख उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ**,** "मेक इन इंडिया" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीयकरण को बढ़ावा देना था और इस स्कीम के अंतर्गत पात्र निवेश में प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी अंतरण पर किया गया व्यय भी सम्मिलित है। एसपीएमईपीसीआई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को न्यूनतम ₹4,150 करोड़ के निवेश के साथ भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित करनी होगी, जिसे तीन वर्ष की अवधि के भीतर परिचालन में लाना होगा। साथ ही, उन्हें तीन वर्ष के भीतर 25 प्रतिशत तथा पाँच वर्ष के भीतर 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए**)** प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

*****